

प्रेम,

श्री. समाराज सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 तम्रगढ़ केन्द्र,
प्रो. विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखनक : दिनांक: 24 जनवरी, 2001

विषय:- डेप्पी जू जू परीक्षा केन्द्र शिक्षारपुर, कुन्तगढ़ को सी०बी०एस०के नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र करने का निदेश हुआ है कि डेप्पी जू जू परीक्षा केन्द्र शिक्षारपुर, कुन्तगढ़ को सी०बी०एस०के नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय को पंजीकृत नोतापट्टी का तन्म-तन्म पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की मुख्य समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उस केन्द्रीय परिषदों की संस्था प्राप्त होने का तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिमेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विधायक का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पृथगुद्देश के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या ग्राह्यता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। समाराज सिंह ।
विशेष सचिव ।

पु040-3310111/15-7-सद्विनिर्देश

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विधायक निरीक्षक, मुन्डेगाव ।
- 4- निरीक्षक, अग्नि भारतीय विधायक, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, टैप्सो एनू बर्ड पब्लिक स्कूल शिवापुर, मुन्डेगाव ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

। समाराज सिंह ।
विशेष सचिव ।